कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
मथुरा

पत्रांक 4671 / सा0प्र0 / स0सु0 / 2019 — दिनॉक : 17.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–198 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकृता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा–1 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मथुरा जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र. सं.	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1.	आगरा–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग–2	रिफाइनरी–महुवन–फरह–चुरमुरा–अरसेना	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
2.	आगरा–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग–2	अजई–जीएलए–चौमुहा–अकबपुर	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
3.	आगरा–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग–2	अजीजपुर–दौताना–छाता	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
4.	आगरा–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग–2	ऊसरएग्रो प्लांट–कोसीकलां	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
5.	कोसीकलां से नन्दगांव अन्य जिला मार्ग	सुरवारी–नन्दगांव–संकेत	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
6.	छाता–बरसाना अन्य जिला मार्ग	वरसाना तिराहा–खायरा–छाता	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
7.	मथुरा गोबर्धन	गोबर्धन बाईपास–	40किमी0	60किमी0	60किमी0	50किमी0

	अन्य जिला मार्ग	गोबर्धन तिराहा	प्र0घं0	प्र0घं0	प्र0घं0	प्र0घं0
8.	मथुरा गोबर्धन अन्य जिला मार्ग	जमुनावत–अडीग–खामनी मोड	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
9.	बल्देव सादाबाद अन्य जिला मार्ग	गोकुल बैराज–महावन तहसील	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
10.	बल्दवे–राया अन्य जिला मार्ग	बल्दवे–कारब–राया	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
11.	पीलीभीत–बरेली–मथुरा–भरतपुर यूपीएसएच–33 मार्ग	लक्ष्मी नगर चौराहा–लोहवन–राया	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
12.	राया–हाथरस अन्य जिला मार्ग	राया–बिचपुरी चौकी–सौनई	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
13.	मांट–नौहझील अन्य जिला मार्ग	राया–नीमगांव कासिंग–थना– नर्वे–मांठ	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
14.	वृन्दावन–मांट अन्य जिला मार्ग	पानीगांव तिराहा–मांठ तिराहा	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
15.	राया–नौहझील अन्य जिला मार्ग	मांठ–टैटीगांव–खवल	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
16.	मांठ–नौहझील अन्य जिला मार्ग	सुरीर–मीरपुर–थैनुआ–बधारी–नौहझील	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
17.	छाता–शेरगढ अन्य जिला मार्ग	छाता–लाडपुर खुर्सी–शेरगढ	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
18.	वृन्दावन–नौहझील अन्य जिला मार्ग	जमुना ब्रिज–इमलक सवाद खादर नौहझील	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
19.	नौहझील–बाझना अन्य जिला मार्ग	नौहझील–सीयो पट्टी बैंगर–बाजना कट यमुना एक्सप्रेस वे	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
20.	राया–सादाबाद अन्य जिला मार्ग	राया–मदैम–नगोडा	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
21.	मथुरा–सौंख अन्य जिला मार्ग	पालीखेड़ा–उंचागांव–नगला माना– सौंख	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
22.	मथुरा–गोबर्धन अन्य जिला मार्ग	जाजम पट्टी–मर्गोरा–फौन्डर–लौरिया पट्टी–सोंख	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0
23.	सोंख–गोबर्धन अन्य जिला मार्ग	सोंख–नगला अख्खा–पैंठा–महमदपुर–गोबर्धन	40किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	60किमी0 प्र0घं0	50किमी0 प्र0घं0

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा।

1) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रट्रो–रिफ्लेक्टिव टपे का प्रयोग किया जायेगा।

2) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

- अग्निशमन वाहन
- एम्बूलेंस
- पुलिस वाहन
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन
- प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

3) उपरोक्त तालिका के कालम 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) मथुरा

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0) लखनऊ।
7. उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
8. संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) आगरा।
9. जिला सूचना अधिकारी, मथुरा को इस आशय के साथ कि उपरोक्त अधिसूचना को जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1, मथुरा को इस आशय से प्रेषित की अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. प्रबन्धक/निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मथुरा को इस आशय से प्रेषित की अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. संपादक महोदय, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि अपने आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) मथुरा